…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

OFFICIAL WARNING LETTER
EDUCATION ACT 1996
CHILDREN ACT 1989

Dear …………………………….

The very irregular attendance and punctuality of your child, ………………………………, a registered pupil at, ……………………………………, has been reported to the Local Authority. A parent or carer's duty is to ensure that their children attend school regularly is outlined in Section 7 of the Education Act 1996, which states that "*the parent of every child of compulsory school age shall cause him to receive efficient full-time education suitable to his age, ability and aptitude and to any special educational needs he may have either by regular attendance at school or otherwise".*

The absence and lateness have been confirmed as being contrary to the provisions of this act. I must therefore warn you that unless there is an immediate and sustained improvement in …………………………………………….'s attendance & punctuality, legal proceedings may be instigated against you, as the person with parental responsibility, under Section 444 of the Education Act 1996.

Subject to the provisions of these Sections of the Act, any person guilty of an offence shall be liable, on summary conviction, to a fine of up to £2,500 (two thousand, five hundred pounds), and/or a possibility of imprisonment for up to 3 months.

Under the Police and Criminal Evidence Act 1984, I must therefore inform you that:
"You do not have to say anything. But it may harm your defence if you do not mention when questioned something you later rely on in court. Anything you do say may be given in evidence".

Application may also be made for ……………………………… to be directed to the Family Court, which may result in your child being made the subject of an Education Supervision Order under the Children's Act 1989. Such an order suspends certain parental rights with regard to the education of their children.

Yours sincerely

…………………………………………………..
Officer's Name
…………………………………………………..
Officer's Designation

OFFICIAL WARNING LETTER
EDUCATION ACT 1996
CHILDREN ACT 1989

प्रिय

आपके बच्चे, ..., जो .... में रजिस्टर हुवा क्षात्र है की बहुत अनियमित उपस्थिति व समयपालन की रिपोर्ट स्थानीय एजुकेशन अथॉरिटी को दी गई है। मां-बाप या अभिभावक पर यह निश्चित करने का दायित्व कि उनका बच्चा नियमित रूप से स्कूल आए एजुकेशन ऐक्ट 1996 के सेक्शन 7 में लिखा हुवा है, जो कहता है कि, *" स्कूल की अनिवार्य आयु के हर बच्चे के मां-बाप के लिए आवश्यक है कि वे उसकी आयु, सामर्थ्य व रुझान तथा यदि उसकी कोई शिक्षा सम्बन्धित विशेष आवश्यकताएं हों तो उनके अनुसार उसे पूरे समय की कुशल शिक्षा नियमित रूप से स्कूल जा कर या किसी अन्य तरीके से दिलाने की व्यवस्था कराएं।"*

अनुपस्थिति व विलम्ब को इस ऐक्ट के प्रावधानों के विपरीप माना जाता है। इसलिए मुझे आपको यह चेतावनी देना जरूरी है कि यदि .... की उपस्थिति व समयपालन में में तुरन्त व अनवरत सुधार न हो तो आपके विरुद्ध, जिन पर मां-बाप का दायित्व है, एजुकेशन ऐक्ट 1996 के सेक्शन 444 के अन्तरगत कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

इस ऐक्ट के सेक्शनों के प्रावधानों के अन्तरगत अपराधी पाया गया व्यक्ति सारांश रूप से अपराधी घोषित किए जाने पर £2,500 (दो हजार पांच सौ पाउन्ड) तक के दन्ड का देनदार होगा या/और उसे 3 माह तक के कारावास की सम्भावना हो सकती है।

पुलिस व क्रिमिनल एविडेंस 1984 के अन्तरगत मुझे आपको यह सूचित करना जरूरी है कि:

"आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप पूछे जाने पर कोई ऐसी बात न बताएं जिस पर बाद में आप कोर्ट में निर्भर करें तो इससे आपके प्रतिवाद को हानि हो सकती है। आप जो कुछ भी कहें उसे गवाही के रूप में उपयोग किया जा सकता है।"

..........................को फैमिली कोर्ट की ओर निर्देशित किए जाने कि याचना भी की जा सकती है , जिसके फलस्वरूप आपका बच्चा चिल्ड्रेन्स ऐक्ट 1989 के अन्तरगत एजुकेशन सुपरविजन ऑर्डर (शिक्षा निरीक्षण आदेश) के आधीन किया जा सकता है। ऐसा आदेश मां-बाप के उनके बच्चों की शिक्षा सम्बंधित कुछ अधिकारों को निलंबित कर देता है।

भवदीय,

....
....